न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 51/2020 दायरा दिनांक : 07.09.2020

उनवान

कन्हैया लाल पुत्र मांगीलाल, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– केदार बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी रामकिशन, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी हाल बरूखेड़ी पोस्ट लटूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा

2– सुगनाबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी ओमप्रकाश, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी हाल काकड़दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– बद्रीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी लेखराज, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी हाल लिमी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– भैरूलाल पुत्र मांगीलाल, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5– बृजमोहन पुत्र मांगीलाल, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6– श्रवण पुत्र धूलीलाल, जाति मीना, निवासी सीमलखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7– शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा सारोलाकलां

8– शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ़, तहसील खानपुर

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रघुवीर गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 308/प्रार्थना पत्र/2018 निर्णय दिनांक 19.08.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में अपीलांट का प्रकरण प्रथम दृष्टया सही मानते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित 15 किता की 102 बीघा 10 बिस्वा आराजी के मामले में आगामी पेशी तक ट्रान्सफर न करने के मामले में अन्तरिम आदेश जारी किया था परन्तु 19.08.2020 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होना मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी में अपीलांट के पिता मांगीलाल का 1/2 हिस्सा था एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट क्रम 6 श्रवण का था । रेस्पोडेंट क्रम 6 के हिस्से का कोई विवाद नहीं है परन्तु अपीलांट के पिता मांगीलाल की मृत्यु हो जाने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने मांगीलाल का फौती इंतकाल नं. 133 खोल दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है । क्योंकि मीना जाति अनुसूचित जनजाति में आती है । मीना जाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस मामले में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत पुत्र के साथ मीना जाति की पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलांट के प्रार्थना पत्र के मामले में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट/अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के पक्ष में मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विवादित आराजी के मामले में स्वीकार कर दिनांक 16.07.2018 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा कन्फर्म करना चाहिए था ताकि विवादित आराजी का अन्य पक्षकारान अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर अब आगे आराजी का बेचान ना कर सके, यदि अन्य पक्षकारान ने भी आराजी का बेचान कर दिया तो अपीलांट का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा । अपील में वर्णित आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2020 अपास्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह विवादित आराजी 15 किता की 102 बीघा 10 बिस्वा के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से हस्तान्तरित नहीं करे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा रजिस्टर्ड तलबी हो चुकी है, ए डी की रसीद प्राप्त की । खातेदार मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है मांगीलाल के वारिसान 3 पुत्र कन्हैयालाल, भैरूलाल, बृजमोहन 4 पुत्रियां केदार बाई, सुगनाबाई, बद्रीबाई, फूलाबाई हैं । अधीनस्थ न्यायालय में मीणा है इसलिए उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है । लड़कियों का कोई हक विवादग्रस्त आराजी में नहीं है । दिनांक 16.07.2018 को आदेश धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । केदारबाई व सुगना बाई ने आराजी बेचान कर दिया, शेष बहने भी बेचान करना चाहती है, अतः इन्हें रोका जाना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाये । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे 2016 पेज 37 एवं आर आर टी 2014 (2) पेज 901 एच सी पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.08.2020 पारित किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार है क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के पिता मांगीलाल का स्वर्गवास हो जाने के बाद फौती इन्तकाल विधिवत रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक के मुताबिक रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में खोला गया है जो मृतक के उत्तराधिकारी होने से खोला है जो विधि अनुसार न्यायहित में डिलीट नहीं किया जा सकता । अपीलांट तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 सगे भाई–बहिनें हैं तथा रेस्पोडेंट को उक्त आराजीयात जीवन पर्यन्त उपयोग व उपभोग करने का हक व अधिकार प्राप्त है जो इंतकाल खोला गया था वह कानूनन सही व विधि अनुरूप हैं । अतः अपील निरस्त की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । खातेदार मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है मांगीलाल के वारिसान 3 पुत्र कन्हैयालाल, भैरूलाल, बृजमोहन तथा 4 पुत्रियां केदार बाई, सुगनाबाई, बद्रीबाई, फूलाबाई हैं । पक्षकारान मीणा जाति के हैं । मीना जाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस मामले में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत पुत्र के साथ मीना जाति की पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अभिभाषक अपीलांट ने आर बी जे 2016 पेज 37 एवं आर आर टी 2014 (2) पेज 901 एच सी यहां चस्पा होती है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करे एवं ओल्ड हिन्दू लॉ का अवलोकर कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा